–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 57/2022

उनवान

बंजरग सिंह उर्फ गटटु सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बनेवडा, तहसील नसीराबाद जरियें पावॅर आफॅ अटोर्नी होल्डर किशन कंवर पत्नी बजरंग सिंह उर्फ गटटु सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद

—— वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. दयाल सिंह पुत्र मोहन सिंह पौत्र भंवर सिह
2. छगन कंवर पत्नी भगवान सिंह पुत्र वधु मोहन सिंह.
3. ओम कंवर,.
4. मिटठु कंवर,.
5. पप्पी कंवर पुत्रियॉ भगवान सिंह पौत्री मोहन सिंह,
6. धन कंवर पत्नी राजवीर सिंह पुत्र वधु मोहन सिंह,
7. योगेन्द्र सिह पुत्र राजवीर सिंह पौत्र मोहन सिंह,.
8. प्रिया कंवर ना.बा. पुत्री राजवीर सिंह पौत्री भगवान सिंह,.
9. पुष्पा कंवर,.
10. प्रेम कंवर,.
11. फजल कंवर,.
12. बबलू कंवर पुत्रीयॉ मोहन सिंह पौत्री भवंर सिंह,
13. प्रबन्धक युनियन बैंक आफॅ इण्डिया शाखा भवानीखेडा,.
14. प्रबन्धक युनियन बैंक आफॅ इण्डिया शाखा बाघसुरी,
15. उप पंजीयक नसीराबाद,
16. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 2 व 6 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर
15 व 16 जरियें राज. पैरोकार,
1, 9 से 12 जरियें अधिवक्ता श्री हेमंत शेखर,
शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

–: निर्णय :–　　　　　　दिनांक :– 22.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल बनेवडा की निम्न आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	श्रकबा
46	3–7–0	1311	0.54	1023	0.54
39	2–14–0	1304	0.44	1028	0.44
35	0–8–0	1300	0.07	1031	0.07
01	3–19–10	994	0.64	1786	0.64

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में मूल खातेदार मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज थी। मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस 3 पुत्र भगवान सिंह, दयाल सिंह व वादी बंजरग सिंह उर्फ गटटु सिंह तथा 4 पुत्री प्रतिवादी संख्या 9 से 12 हुये। दयाल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 है तथा पुत्र भगवान सिंह की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 8 है। व 4 पुत्री प्रतिवादी संख्या 9 से 12 है। इस प्रकार मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत के हिस्से की आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का हक व अधिकार निहित है। वंर्किग जमाबंदी में मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत की विरासत दर्ज करते समय मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत के दो पुत्र भगवान सिंह व दयाल सिंह के नाम आराजी मुतनाजा का अंकन कर दिया। जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का भी उक्त आराजी पर हक व अधिकार निहित होने के कारण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर दखलदांजी करने व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 9 से 12 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता का कब्जा काश्त है। वादी ने विरासत के नामान्तकरण के समय कोई आपत्ति दर्ज नही करायी है व ना ही उक्त नामानतकरण के विरूद्व कोई अपील की गयी है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण को हेरान परेशान करने के लियें पेश किया है। अतः वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तेनी खातेदारी की है ?

—— वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:42 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया वादी द्वारा विरासत नामान्तकरण की अपील नही की गयी है अतः वाद खरिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा किशन कंवर पत्नी बजरंग सिंह उर्फ गट्टु के बयान करवाये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

ग्राम बनेवडा के चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2027 के खाता संख्या 201/209 किता 4 रकबा 10—8—10 की आराजी मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में खाता संख्या 197/202 किता 4 रकबा 10—8—10 की आराजी भगवान सिंह व दयाल सिंह पि. मोहन सिंह के नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज थी। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत के वारिस हैं। वादी ने अने वाद पत्र में कथन किया है कि मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस 3 पुत्र भगवान सिंह, दयाल सिंह व वादी बंजरग सिंह उर्फ गटटु सिंह तथा 4 पुत्री प्रतिवादी संख्या 9 से 12 हुये। दयाल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 है तथा पुत्र भगवान सिंह की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 8 है। व 4 पुत्री प्रतिवादी संख्या 9 से 12 है। इस प्रकार मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत के हिस्से की आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1, 9 से 12 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 8 ने मोहन सिंह के वारिस वादी व प्रतिवादीगण होने के कथन का खण्डन अपने जवाब में नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तेनी सिद्व होती है। तनकी बहक वादी सिद्व होता है।

तनकी संख्या 2 व 3 :—

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तेनी हैं आराजी मुतनाजा में मोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत की विरासत दज्र करते समय 3 पुत्रों के स्थान पर [illegible] के नाम ही विरासत अंकित की गयी तथा वादी का नाम पुत्र के हैसियत से दर्ज नहीं किया [illegible] ना ही 4 पुत्रियों प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:42 IST
Reason: SelfAttested

——4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

9 से 12 का नाम भी आराजी मुतनाजा पर दर्ज नही किया गया। आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का भी आराजी मुतनाजा पर हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने विरासत के नामान्तकरण के समय कोई आपत्ति दर्ज नही करायी है व ना ही उक्त नामानतकरण के विरूद्व कोई अपील की गयी है। किन्तु वादी द्वारा नामान्तकरण की अपील नही कर उक्त वाद पेश किश है जिस कारण प्रतिवादीगण की आपत्ति न्यायोचित सिद्व नही होती है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। शेष प्रतिवादीगण ने प्रकरण के तथ्यों को स्वीकार किया है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 13 व 14 द्वारा ऋण दिया गया है किन्तु आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का भी हक व अधिकार निहित होने के कारण उक्तरहन का इन्द्राज वादी व प्रतिवादी संख्या 9 से 12 के हितो पर अप्रभावी है। वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 2 व 3 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम व पटवार मण्डल बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 1023, 1028, 1031, 1786 रकबा क्रमशः 0.54, 0.44, 0.07 व 0.64 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''**किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को 1/7, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को 1/7 व प्रतिवादी संख्या 9 से 12 प्रत्येंक को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बजरंग सिंह उर्फ गट्टु बनाम दयाल सिंह वगै.

दावा बाबत :— 88, 188, 92 ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —57 / 2022
पेश करने की दिनांक —09.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुद्दई गोवर्धन गुर्जर, हेमंत शेखर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम व पटवार मण्डल बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 1023, 1028, 1031, 1786 रकबा क्रमशः 0.54, 0.44, 0.07 व 0.64 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को 1/7, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को 1/7 व प्रतिवादी संख्या 9 से 12 प्रत्येंक को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद